न्यायालय : - नायब तहसीलदार,खुशहालगंज,सरोजनी नगर
पीठासीन अधिकारी का नाम:- अस्था पांडेय
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460515872
वाद संख्या:- 15872/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम जयकरन
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 01/06/2026

3048/0.0760 हे

प्रस्तुत वाद वादी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकण योजनान्तर्गत के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमे विक्रय पत्र दिनांक 10.04.26 के आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इश्तहर जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखयी/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। लिखित साक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान संलग्न पत्रावली है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि भूमि का सम्बन्ध सीलिंग भूदान, पट्टा से नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा विक्रय अनुमति संलग्न है। यह विक्रय विलेख उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामातंरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम दोना, परगना काकोरी, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1426 से 1431 फसली के खाता संख्या 00755 की गाटा संख्या खसरा सं० 1945 का कुल रकबा 0.0130हे0 में से विकीत रकबा 0.0032 हे0, खसरा सं० 2611 रकबा 0.0510हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0127 हे0, खसरा सं० 2312 रकबा 0.0120 हे0 में से विकीत रकबा 0.0030 हे0, खसरा सं० 2614 रकबा 0.0510 हे0 में से विकीत रकबा 0.0127हे0 खसरा सं० 2653 रकबा 0.0500 हे0 में से विकीत रकबा 0.0126 हे0 खसरा सं० 2654 रकबा 0.1010 हे0 में से विकीत रकबा 0.0254 हे0 खसरा सं० 2655 रकबा 0.0950 हे0 में से विकीत रकबा 0.0237 हे0 खसरा सं० 2629 रकबा 0.0440 हे0 में से विकीत रकबा 0.0111 हे0 खसरा सं० 2657 रकबा 0.0120हे0 में से विकीत रकबा 0.0030 हे० खसरा सं० 2661 का कुल रकबा 0.0630 हे0 में से विकीत रकबा 0.0157 हे0 खसरा सं० 2662 रकबा 0.3410 हे0 में से विकीत रकबा 0.0852 हे0 खसरा सं० 2922 रकबा 0.0760 हे0 में से विकीत रकबा 0.0190 हे0 खसरा सं० 3007 रकबा 0.0510 हे0 में से विकीत रकबा 0.0127 हे0 खसरा सं० 3020 रकबा 0.2020 हे0 में से विकीत रकबा 0.0505 हे0 खसरा सं० 3021 रकबा 0.1140 हे0 में से विकीत रकबा 0.0285 हे0 खसरा सं० 3022 रकबा 0.1900 हे0 में से विकीत रकबा 0.0475 हे0 खसरा सं० 3023 रकबा 0.2530 हे0 में से विकीत रकबा 0.0635 हे0 खसरा सं० 3024 रकबा 0.3670 हे0 में से विकीत रकबा 0.0917 हे0 खसरा सं० 3025 रकबा 0.2530 हे0 में से विकीत रकबा 0.0633 हे0 खसरा सं० 3026 रकबा 0.1640 हे0 में से विकीत रकबा 0.0410 हे0 खसरा सं० 3027 रकबा 0.0380 हे0 में से विकीत रकबा 0.0095 हे0 खसरा सं० 3028 का कुल रकबा 0.1520 हे0 में से विकीत रकबा 0.0380 हे0 खसरा सं० 3029 रकबा 0.1640 हे0 में से विकीत रकबा 0.0414 हे0 खसरा सं० 3030 रकबा 0.1640 हे0 में से विकीत रकबा 0.0410हे0 खसरा सं० 3031 रकबा 0.2150 हे0 में से विकीत रकबा 0.0537 हे0 खसरा सं० 3032 रकबा 0.1900 हे0 में से विकीत रकबा 0.0475 हे0 खसरा सं० 3037 रकबा 0.0510 हे0 में से विकीत रकबा 0.0127 हे0 खसरा सं० 3033 रकबा 0.2660 हे0 में से विकीत रकबा 0.0665 हे0 खसरा सं० 3044 रकबा 0.2910 हे0 में से विकीत रकबा 0.0727 हे0 खसरा सं० 3048 रकबा 0.0760 हे0 में से विकीत रकबा 0.0190 हे0 खसरा सं० 3052 रकबा 0.2150 हे0 में से विकीत रकबा 0.0537 हे0 खसरा सं० 3066 रकबा 0.0380 हे0 में से विकीत रकबा 0.0095 हे0 कुल रकबा 4.7040 हे0 में से विकीत रकबा 1.0912 हे0 अर्थात सम्पूर्ण भाग मा0गु0 60ख से विक्रेता श्री जय करन पुत्र राम स्वरूप निवासी-राम विहार कालोनी, पारा रोड, आवास विकास कालोनी, लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा ज्ञानेनद्र प्रताप शुक्ला पुत्र अंजनी कुमार शुक्ला लखनऊ विकास प्राधिकरण का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 10.04.26 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"